

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962

{उ० प्र० अधिनियम संख्या 17, 1962}

THE UTTAR PRADESH PRAVIDHIK SHIKSHA ADHINIYAM, 1962

[U.P. Act No. XVII OF 1962]

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962¹

{उ० प्र० अधिनियम संख्या 17, 1962}

उ० प्र० अधिनियम संख्या 23, 1966

उ० प्र० अधिनियम संख्या 35, 1974

द्वारा संशोधित

{उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 18 सितम्बर, 1962 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 01 नवम्बर, 1962 ई० की बैठक में स्वीकृत किया तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने पुनः दिनांक 05 नवम्बर, 1962 ई० को उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा किए गए संशोधनों सहित, स्वीकृत किया।

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने दिनांक 23 नवम्बर, 1962 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 30 नवम्बर, 1962 ई० को प्रकाशित हुआ।}

उत्तर प्रदेश में एक प्राविधिक शिक्षा परिषद् की स्थापना तथा उसके संघटन और तत्सम्बन्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1— (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 ई० कहलाएगा।
नाम तथा

संक्षिप्त शीर्ष
प्रसार

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

2— विषय या प्रसंग में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में :—

परिभाषाएं

(क) “सम्बद्ध संस्था” से अधिनियम के उपबन्धों के या तद्धीन बनाए गए विनियमों के अनुसार किसी पाठ्य-क्रम या किन्हीं पाठ्य-क्रमों के विषय में परिषद् से सम्बद्ध संस्था अभिप्रेत है;

(ख) “परिषद्” से धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है;

(ग) “उपविधि” से धारा 24 के अधीन बनाई गई उपविधियाँ अभिप्रेत हैं;

(घ) “केन्द्र” से परिषद् द्वारा अपनी परीक्षाएं लेने के प्रयोजनार्थ निश्चित की गई संस्था या स्थान अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उससे संलग्न या अनुबद्ध भू-गृहादि भी हैं;

(ङ) “प्रमाण-पत्र” से परिषद् द्वारा किसी व्यक्ति को, सम्बद्ध संस्था से ऐसे पाठ्य-क्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने पर दिए गए प्रमाण-पत्र से है, जो समय-समय पर विनियमों द्वारा नियत किए जायें;

(च) “सभापति” से धारा 4 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त परिषद् के सभापति अभिप्रेत है;

(छ) “डिप्लोमा” से परिषद् द्वारा किसी व्यक्ति को, सम्बद्ध संस्था में ऐसे पाठ्य-क्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने पर दिए गए डिप्लोमा अभिप्रेत है, जो समय-समय पर विनियमों द्वारा नियत किए जायें;

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए उ० प्र० सरकारी असाधारण गजट दिनांक 20 अगस्त, 1962 देखिए।

{उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962} {धारा 3-4}

{और इसके अन्तर्गत प्रारम्भिक डिप्लोमा, उच्च डिप्लोमा, उच्चतर डिप्लोमा, इण्टरमीडिएट डिप्लोमा अथवा डिप्लोमोत्तर (पोस्ट डिप्लोमा) पाठ्य-क्रम पूरा करने के लिए दिया गया डिप्लोमा भी है;}¹

{[छछ] "निदेशक" का तात्पर्य प्राविधिक शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत धारा 22-क से 22-छ के प्रयोजनार्थ निदेशक द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई ऐसा अधिकारी भी है, जो उपनिदेशक, प्राविधिक शिक्षा के पद से नीचे का न हो;}²

(ज) "अधीक्षक" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जो केन्द्र में होने वाली परीक्षाओं के संचालन तथा पर्यवेक्षण में उस केन्द्र के अधीक्षक की सहायता करे और परियोजना परीक्षा के सम्बन्ध में इसके अन्तर्गत परियोजना प्रेक्षक भी है;

{[जज] किसी सम्बद्ध संस्था के सम्बन्ध में "प्रबन्धतंत्र" अथवा "प्रबन्ध समिति" का तात्पर्य ऐसी प्रबन्ध समिति अथवा अन्य निकाय अभिप्रेत है, जिसे उस संस्था के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने का भार सौंपा गया हो;}³

(झ) "सदस्य" से परिषद् के सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उसके सभापति तथा उपसभापति भी है;

(ञ) "विनियम" से धारा 23 के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत है;

(ट) "नियम" से धारा 22 के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम अभिप्रेत है;

(ठ) "सचिव" से धारा 11 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए परिषद् के सचिव अभिप्रेत है;

(ड) "राज्य" से उत्तर प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;

(ढ) "केन्द्र-अधीक्षक" से परिषद् की परीक्षाओं का संचालन तथा पर्यवेक्षण करने के लिए परिषद् द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अतिरिक्त अधीक्षक तथा सहयुक्त अधीक्षक भी है; और

(ण) "उपसभापति" से धारा 4 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए परिषद् के उपसभापति अभिप्रेत है।

3— राज्य सरकार, गजट में विज्ञापित प्रकाशित करके, एक परिषद् की स्थापना करेगी, जो उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् कहलाएगी और ऐसी विज्ञापित इस अधिनियम के आरम्भ होने के बाद किसी भी समय की जा सकती है, भले ही सदस्यों के एक या अधिक स्थान भरे जाने के लिए शेष हों।

परिषद् की स्थापना

4— {[1]}⁴ परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

परिषद् का संगठन

- (1) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक सभापति;
- (2) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक उप-सभापति;
- (3) राज्य सरकार विधान सभा अपने सदस्यों में से निर्वाचित चार सदस्य;
- (4) राज्य विधान परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित दो सदस्य;

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 23, 1966 की धारा 2 द्वारा अन्तर्विष्ट।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 35, 1974 की धारा 2 (1) द्वारा बढ़ाया गया।
3. उपर्युक्त की धारा 2 (2) द्वारा बढ़ाया गया।
4. उपर्युक्त की धारा 3 द्वारा पुनःसंख्यांकित।

{उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962}

{धारा

4}

- (5) राज्य सरकार के {उद्योग और वित्त विभागों}¹ में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि;
- (6) उद्योगों के राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो प्रतिनिधि;
- (7) राज्य में स्थित गर्ल्स डिग्री कॉलेजों की प्रधानाचार्याओं (प्रिंसिपलों) में से राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक प्रधानाचार्या;

- (8) भारत सरकार के [तत्समय—प्राविधिक शिक्षा का कार्य करने वाले मंत्रालय]² का एक प्रतिनिधि;
- (9) ऑल इण्डिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का नार्दन रीजनल कमेटी का एक प्रतिनिधि;
- (10) रेलवे बोर्ड का एक प्रतिनिधि;
- (11) इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इण्डिया) का एक प्रतिनिधि;
- (12) इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कानपुर का एक प्रतिनिधि;
- (13) मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, [के ऐसे कमान्ड का एक प्रतिनिधि, जिसका मुख्यालय राज्य में हो];³
- (14) परिषद् से सम्बद्ध संस्थाओं के प्रधानाचार्यों (प्रिंसिपलों) में से चार, नियमों में नियत रीति से आवर्तन द्वारा;
- [(15) किसी उत्तर प्रदेश ऐक्ट या अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित प्रत्येक ऐसे विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि, जिसमें अभियंत्रण या प्रोद्योग का संकाय हो, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, किन्तु यदि ऐसे विश्वविद्यालयों की संख्या पाँच से अधिक हो जाय तो नियमों द्वारा नियत रीति से आवर्तन द्वारा केवल पाँच विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि होंगे];⁴
- (16) राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण, स्वायत्त शासन (अभियंत्रण) तथा सिंचाई विभागों के मुख्य अभियंता—पदेन
- (17) राज्य विद्युत परिषद् (स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड), उत्तर प्रदेश का मुख्य अभियंता—पदेन
- (18) रूडकी विश्वविद्यालय का उपकुलपति — पदेन
- (19) शिक्षा निदेशक [माध्यमिक शिक्षा]⁵ उत्तर प्रदेश — पदेन
- (20) निदेशक, प्रशिक्षण एवं नियोजन, उत्तर प्रदेश — पदेन
- (21) प्राविधिक शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश — पदेन
- (22) उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश — पदेन
- (23) राज्य सरकार का विद्युत निरीक्षक (इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर) — पदेन और
- (24) राज्य सरकार द्वारा नाम—निर्दिष्ट दो व्यक्ति।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (16), (17), (19), (20) और (22) में उल्लिखित सदस्य परिषद् की बैठक में स्वयं उपस्थित होने के बजाय अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को, जो यथास्थिति, उप मुख्य अभियंता या उप निदेशक के पद से नीचे का न हो, प्रतिनियुक्त कर सकते हैं और इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी उस विशिष्ट बैठक में, जिसके लिए वे प्रतिनियुक्त किए जाएं, कार्यवाहियों में भाग लेने के हकदार होंगे और बैठक में मत देने के भी हकदार होंगे।]⁶

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 23, 1966 की धारा 3 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 3 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 3 (3) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उपर्युक्त की धारा 3 (4) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 35, 1974 की धारा 3 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उपर्युक्त की धारा 3 (ख) द्वारा बढ़ायी गयी।

{उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962}
5—10}

{धारा

5— परिषद् तीन से अनधिक ऐसे व्यक्तियों को, जो परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों अनुमेलन

विशेषज्ञों का

में सम्मिलित विषयों के विशेषज्ञ हों, अनुमेलित कर सकती है। अनुमेलित व्यक्तियों के नाम और प्रत्येक (अनुमेलन का) कार्यकाल, जो तीन वर्ष से अधिक का न होगा, गजट में विज्ञापित किए जाएंगे।

{6— (1) उपधारा (3) और (4) और धारा 7 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए :-

(क) धारा 4 के खण्ड (1) से (4), (6), (9) और (24) में उल्लिखित सदस्यों का कार्यकाल कमशः उन दिनों से तीन वर्ष होगा, जब उनकी नियुक्ति गजट में विज्ञापित की जाय;

(ख) धारा (4) के खण्ड (7), (14) तथा (15) में उल्लिखित सदस्यों का कार्यकाल वह होगा, जो नियमों द्वारा नियत किया जाय।

(2) धारा 4 के खण्ड (5), (8) तथा (10) से (13) में उल्लिखित सदस्य समय-समय पर, समुचित प्राधिकारियों अथवा निकायों द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

(3) पदेन सदस्यों तथा उपधारा (2) में उल्लिखित सदस्यों से भिन्न, कोई सदस्य किसी भी समय अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, जो परिषद् के सचिव को सम्बोधित होगा, अपना पद त्याग सकता है।

(4) जब कोई सदस्य उस पद पर न रह जाय, जिसके कारण वह सदस्यता के लिए पात्र हुआ हो अथवा जिस हैसियत से वह सदस्यता के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया हो तो वह पदधारी न रह जाएगा।

7— राज्य सरकार, किसी ऐसे सदस्य को सदस्यता से हटा सकती है, जिसके विषय जाना

सदस्य का हटाया

में उस (राज्य सरकार) की राय हो कि उसने अपनी सदस्यता की स्थिति का ऐसा दुरुपयोग किया है कि उसका परिषद् में बना रहना लोक हित के लिए हानिकर होगा :

प्रतिबन्ध यह कि राज्य सरकार किसी सदस्य को उपर्युक्त प्रकार से हटाने के पहले उसकी स्पष्टीकरण देने का अवसर देगी और उसके हटाए जाने के कारणों को अभिलिखित करेगी।

8— (1) परिषद् की बैठकें ऐसे समय तथा स्थानों पर होगी और उपधारा (2) तथा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, वह अपनी बैठकों में कार्य-सम्पादन करने के लिए, जिसके अन्तर्गत बैठकों की गण-पूर्ति भी है, ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी, जिनकी व्यवस्था तदर्थ बनाई गई उपविधियों द्वारा की जाय।

परिषद् की बैठकें

(2) सभापति, तथा उसकी अनुपस्थिति में उप-सभापति, परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। उन दोनों की अनुपस्थिति में, बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई सदस्य उस बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) परिषद् की बैठक में उठने वाले समस्त, प्रश्नों का निर्णय उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और मतों के बराबर होने की दशा में उक्त बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को एक दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

9— परिषद् या उसके द्वारा नियुक्त समिति का कोई कार्य या कार्यवाहियाँ परिषद् या कारण

रिक्ति आदि के

समिति में कोई रिक्ति या उसके संघटन में कोई त्रुटि होने के कारण हो या प्रक्रियाएं कोई अवैध

कार्य या कार्यवाहियाँ

ऐसी अनियमितता होने के कारण, जिससे मामले के गुण-दोष पर प्रभाव न पड़े, अवैध न समझी जायेगी।

न होगी

10— परिषद् का कार्यालय उत्तर प्रदेश में उस स्थान पर होगा, जो राज्य सरकार कार्यकाल

परिषद् का

निश्चित करे।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 23, 1966 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962}

{धारा 11-13}

11— (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने में परिषद् सचिव की सहायता करने के निमित्त उसका एक सचिव नियुक्त करेगी।

परिषद् का

(2) सचिव सरकारी कर्मचारी होगा।

12— इस अधिनियम के उपबन्धों और तदधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के कृत्य और अधीन रहते हुए परिषद् के निम्नलिखित कृत्य और कर्तव्य होंगे :-

परिषद् के
कर्तव्य

(1) संस्थाओं को सम्बद्ध करना और अपने द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिए पाठ्य-क्रम तथा शिक्षण-क्रम नियत करना;

(2) सम्बद्ध संस्थाओं की इमारतों तथा सज्जा के लिए मानदण्ड नियत करना; (3) सम्बद्ध संस्थाओं के कर्मचारी वर्ग के लिए शैक्षिक अर्हताएं तथा अन्य

मानदण्ड नियत करना;

(4) सम्बद्ध संस्थाओं में विद्यार्थियों की भर्ती के लिए शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं नियत करना;

(5) सम्बद्ध संस्थाओं में विद्यार्थियों की भर्ती किए जाने की रीति नियत करना; (6) अपने द्वारा संचालित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को प्रविष्ट करना;

(7) निम्नतर कक्षाओं से उच्चतर कक्षाओं में प्रोन्नति के निमित्त तथा प्रमाण-पत्र और डिप्लोमा देने के निमित्त भी परीक्षाएं संचालित करना;

(8) अपने द्वारा संचालित परीक्षाओं के परीक्षाफल प्रकाशित करना;

(9) उन विद्यार्थियों को, जिन्होंने किसी सम्बद्ध संख्या में नियत पाठ्य-क्रमों को पूरा कर लिया हो और उसके द्वारा संचालित परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हों, प्रमाण-पत्र तथा डिप्लोमा देना;

(10) अन्य प्राधिकारियों तथा निकायों के साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए सहयोग करना, जो इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो;

(11) प्राविधिक शिक्षा के समन्वित विकास तथा तत्सम्बन्धी प्रशिक्षण के विषय में राज्य सरकार को परामर्श देना;

(12) इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन अन्य समस्त कार्य करना, जो उसके कृत्यों का यथोचित निर्वहन करने के लिए आवश्यक हो; और

(13) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन उस पर आरोपित किए जायें।

13— (1) परिषद् को इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तद्धीन बनाए गए नियमों के अधिकार अधीन रहते हुए, वे सब अधिकार, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों अथवा विनियमों के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन तथा कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक हो।

(2) विशेषतया तथा पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना परिषद् के निम्नलिखित अधिकार होंगे :—

[(1) किसी ऐसे अभ्यर्थी की परीक्षा को रद्द करना या उसके परीक्षा-फल को रोक लेना या उसे किसी भावी परीक्षा में बैठने से वर्जित कर देना, जिसे वह—

(क) परीक्षा में अनुचित उपायों का प्रयोग करने का;

(ख) संस्था अथवा परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए प्रार्थना-पत्र में कोई सत्य विवरण देने या महत्वपूर्ण सूचना अथवा तथ्य छिपाने का;

{उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962}

14}

(ग) परीक्षा में कपट करने अथवा प्रतिरूपण का;

(घ) उक्त परीक्षा में प्रवेश के नियमों का उल्लंघन करके परीक्षा में प्रवेश पाने का; या

(ङ) परीक्षा के दौरान में किसी घोर अनुशासनहीनता का दोषी पाये।]¹

[(1-अ) किसी परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थी के अंक काट लेना, जिसे वह किसी परीक्षा के दौरान में किसी अनुशासनहीनता का दोषी पाये;]² और

(2) किसी ऐसे अभ्यर्थी का परीक्षा-फल रद्द करना, [जिसे वह]³ खण्ड

(1) के उपखण्डों (क) से (घ) तक में दिए गए कार्यों में सभी या किसी का दोषी [पाये]³ गये अथवा ऐसा परीक्षा-फल रद्द करना, जिसकी घोषणा में परिषद् द्वारा कोई सद्भावनापूर्ण भूल हो गयी हो :

प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् की सद्भावनापूर्ण भूल के कारण कोई परीक्षा-फल उसकी घोषणा के दिनोंक से नब्बे दिन व्यतीत हो जाने पर रद्द न किया जायेगा;

(3) अपने द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिए शुल्क नियत करना और उनको वसूल करने की रीति की व्यवस्था करना;

(4) किसी ऐसी संस्था को सम्बद्ध करने से इन्कार करना :—

परिषद् के

{धारा

(क) जो कर्मचारी वर्ग, शिक्षण, सज्जा या इमारत के लिए परिषद् द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं करती या उन्हें पूरा करने की स्थिति में नहीं है अथवा उन तक नहीं पहुँचती है; या

(ख) जो परिषद् द्वारा तदर्थ निर्धारित सम्बद्धता की शर्तों का पालन नहीं करती या उनका पालन करना नहीं चाहती;

(5) ऐसी संस्था की सम्बद्धता वापस लेना, जो कर्मचारी वर्ग, शिक्षण, सज्जा या इमारत के लिए परिषद् द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं कर सकती या उनके अनुसार व्यवस्था नहीं कर सकती अथवा जो परिषद् के संतोषानुसार सम्बद्धता की शर्तों का पालन नहीं करती;

(6) नियमों या विनियमों या परिषद् के निर्णयों, अनुदेशों अथवा निर्देशों के किसी उल्लंघन के सम्बन्ध में सम्बद्ध संस्थाओं के प्रधानों से प्रतिवेदन माँगना और नियमों या विनियमों या परिषद् के निर्णयों, अनुदेशों अथवा निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसी रीति से उचित कार्यवाही करना, जो विनियमों द्वारा नियत की जाय;

(7) यह सुनिश्चित करने के लिए सम्बद्ध संस्था का निरीक्षण करना कि नियत पाठ्यक्रमों का यथोचित रूप से अनुसरण किया जाये और शिक्षण की सुविधाओं की यथोचित व्यवस्था की जाये तथा उनका यथोचित उपयोग हो; और

(8) उन विद्यार्थियों की अधिकतम संस्था निश्चित करना, जो किसी सम्बद्ध संस्था में पाठ्यक्रमों के लिए भरती किये जा सकें।

(3) उपधारा (1) तथा (2) में उल्लिखित सभी मामलों में परिषद् का निर्णय अन्तिम होगा।

14— (1) राज्य सरकार, परिषद् द्वारा किये गये या उसके द्वारा संचालित किसी काम अधिकार

राज्य सरकार के

के विषय में या परिषद् से सम्बन्ध रखने वाले किसी मामले में अपने विचार परिषद् को संसूचित कर सकती है और तदुपरान्त परिषद् राज्य सरकार को उसे कार्यवाही की सूचना देगी, जो उसके सम्बन्ध में उसने की हो या करने का उसका विचार हो।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 23, 1966 की धारा 5 (1) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 5 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 5 (3) द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962} [धारा 15—17]

(2) यदि परिषद् उचित समय के भीतर राज्य सरकार के संतोषानुसार कार्यवाही न करे या की गयी अथवा की जाने वाली कार्यवाही की उसे सूचना न दे तो, राज्य सरकार, परिषद् द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तद्धीन बनाये गये नियमों और विनियमों से संगत ऐसे निदेश जारी कर सकती है, जो वह उचित समझे। परिषद् उक्त निदेशों का पालन उनमें उल्लिखित समय के भीतर करेगी और यदि वह उनका पालन न करे तो राज्य सरकार ऐसी समस्त कार्यवाही कर सकती है, जो वह उक्त निदेशों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे।

{(3) उपधारा (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार किसी भी आपाती दशा में, जिसके कारण उसकी राय में तात्कालिक कार्यवाही करना आवश्यक हो, परिषद् को पहले अभिदिष्ट किये बिना इस अधिनियम के स्पष्ट उपबन्धों से संगत ऐसे कोई निदेश जारी कर सकती है या ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकती है, जो वह उचित समझे।}

15— (1) सभापति को, परिषद् के अधीक्षण, नियंत्रण और निदेशों के अधीन रहते हुए, अधिकार और

सभापति के

उसके निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित सभी कार्य करने का अधिकार होगा। वह ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो नियमों द्वारा नियत किये जायें।

कर्तव्य

(2) सभापति की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन संगठित समितियों के निर्णयों पर परिषद् के अधीक्षण, नियंत्रण और निदेशों के अधीन रहते हुए, ऐसे आदेश देने का अधिकार होगा, जो परिषद् के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत हों तथा जिन्हें वह उचित समझे। सभापति इस प्रकार दिए गए प्रत्येक आदेश की सूचना परिषद् की उसकी अगली बैठक में देगा।

(3) सभापति, ऐसी आपातक दशा में, जिसने उसकी राय में तात्कालिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हो, परिषद् की क्षमता के अन्तर्गत आने वाले किसी भी मामले में कार्यवाही कर सकता है और इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तद्धीन बनाये गये नियमों और विनियमों के अधीन रहते हुए लिखित आदेश द्वारा ऐसी कार्यवाही कर सकता है, जो वह आवश्यक समझे, तदुपरान्त सभापति तुरन्त परिषद् को, उसकी अगली बैठक में इस प्रकार की गई कार्यवाही की सूचना देगा।

(4) धारा 14 की उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिषद् उपधारा (2) अथवा (3) के अधीन सभापति द्वारा दिये गये आदेश की पुष्टि कर सकती है या उसे रद्द या परिष्कृत कर सकती है और सभापति द्वारा की गयी कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले मामले के सम्बन्ध में ऐसे अन्य आदेश दे सकती है, जो इष्टकर या आवश्यक समझी जायें।

(5) धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा की गयी कोई कार्यवाही या दिया गया कोई आदेश अन्तिम होगा चाहे वह किसी ऐसे मामले के सम्बन्ध में हो, जिस पर सभापति द्वारा उपधारा (2) अथवा (3) के अधीन कार्यवाही की गयी हो अथवा अन्य प्रकार का हो और किसी न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जायगी तथा इस धारा के अधीन सभापति या परिषद् द्वारा दिये गये किसी भी आदेश पर अभिभावी होगा।

16— उपसभापति, सभापति के ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन अधिकार

उपसभापति के

करेगा, जो नियमों द्वारा नियत अथवा सभापति द्वारा प्रतिनिहित किये जायें।

और कर्तव्य

17— सचिव, परिषद् का मुख्य प्रशासी होगा और परिषद् के अधीक्षण, नियंत्रण और और

सचिव के अधिकार

निदेशों के अधीन रहते हुए, उसके निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा। वह ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेगा, जो नियमों द्वारा नियत किये जायें और विशेष रूप से वह—

कर्तव्य

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 23, 1966 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962}

{धारा

18—20}

(क) लेखा प्राक्कलन तथा आय—व्ययक के वार्षिक विवरण—पत्र तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि परिषद् को प्रविष्ट समस्त धनराशियाँ उन्हीं प्रयोजनों के लिए खर्च की जाये, जिनके लिए वे प्रविष्ट की गयी हों;

(ग) परिषद् की बैठकों के कार्यवृत्त रखने के लिए उत्तरदायी होगा;

(घ) परिषद् की बैठकों में उपस्थित रहने और कार्यवाहियों में भाग लेने का हकदार होगा किन्तु उसे मतदान करने का अधिकार न होगा।

18— (1) परिषद् {पाठ्यक्रम समितियाँ}, एक परीक्षा समिति, एक निरीक्षण एवं उपसमितियों

समितियों तथा

सम्बद्धता समिति और ऐसी अन्य समितियाँ संगठित करेगी, जो नियमों या विनियमों द्वारा नियत की जाये। सचिव ऐसी प्रत्येक समिति का पदेन सदस्य होगा।

का संघटन

(2) उपधारा (1) के अधीन संगठित किसी समिति में उतने सदस्य और अन्य व्यक्ति होंगे, जिन्हें परिषद् उसमें नियुक्त करे। समिति का कार्यकाल और उसके सदस्यों की संख्या वह होगी, जो विनियमों द्वारा नियत की जाये।

(3) परिषद् की कोई समिति उतने व्यक्तियों को ऐसी अवधि के लिए अनुमेलित कर सकती है, जो वह उचित समझे; किन्तु प्रतिबन्धित यह है कि अनुमेलित सदस्यों की संख्या समिति के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक न होगी।

(4) समिति का सदस्य या उसके द्वारा अनुमेलित व्यक्ति यथास्थिति, परिषद् या समिति को लिखित रूप में सम्बोधित करके अपना पद त्याग सकता है।

(5) उपधारा (4) के अधीन त्याग-पत्र देने के कारण या किसी अन्य कारण समिति में हुई किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति, यथास्थिति, उपधारा (2) या (3) में व्यवस्थित रीति से पुनः नियुक्ति या अनुमेलन द्वारा की जायेगी।

(6) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त समिति ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विनियमों द्वारा नियत किए जायं तथा ऐसी अवधि के लिए, जो यह उचित समझे, उपसमितियाँ संगठित कर सकती है।

{19— (1) परिषद् सामान्य या विशेष आदेश द्वारा या तो बिना शर्त के अथवा ऐसी समितियों को

परिषद् द्वारा

शर्तों और परिसीमाओं के, यदि कोई हो, जिसके अन्तर्गत उसके द्वारा स्वयं पुनर्विलोकन करने अभिदेश

प्रतिनिधान और

की शर्त भी है, अधीन रहते हुए, जो आदेश में निर्दिष्ट की जायें, इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी समिति को, इस अधिनियम के अधीन अपने उन अधिकारों तथा कर्तव्यों को प्रतिनिहित कर सकती है, जिन्हें वह आवश्यक समझे।

(2) पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् इस अधिनियम के अधीन अपने अधिकारों के प्रयोग, कर्तव्यों के पालन तथा कृत्यों के निर्वहन के दौरान में उठने वाले किसी प्रश्न को उपर्युक्त समिति को अभिलिखित कर सकती है और जब कभी इस प्रकार का अभिदेश किया जाय तो परिषद् उस पर निर्णय लेने के पूर्व समिति के प्रतिवेदन, सिफारिशों तथा सुझावों पर विचार करेगी।²

20— (1) इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों के तथा

परिषद् के आदेशों

अधीन रहते हुए परिषद् के समस्त निर्णय उसके द्वारा यथाविधि पारित संकल्प द्वारा किये जाएंगे और सभापति के या परिषद् द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अन्य सदस्य के, हस्ताक्षर से प्रमाणित किये जायेंगे।

अन्य कारणों का प्रमाणीकरण

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 23, 1966 की धारा 7 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उपर्युक्त की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962} क}

{धारा 21—22

(2) परिषद् की ओर से निष्पादित समस्त कारण, परिषद् के सचिव के या परिषद् द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से प्रमाणित किए जाएंगे।

21— (1) प्रत्येक केन्द्रीय अधीक्षक और प्रत्येक अभीक्षक परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा तथा

केन्द्र अधीक्षक

की अवधि में तथा ऐसी परीक्षा के प्रारम्भ होने के पूर्व एक मास तक और ऐसी परीक्षा समाप्त सेवक होंगे

अभीक्षक लोक

होने के तुरन्त पश्चात् दो मास तक इण्डियन पीनल कोड की धारा 21 के अर्थ में पब्लिक सर्वेन्ट (लोक सेवक) समझे जायेंगे।

{(2) केन्द्र के किसी अधीक्षक या अभीक्षक पर उपधारा (1) में उल्लिखित अवधि में आक्रमण या आपराधिक बल प्रयोग करने को लोक सेवक के कृत्यों के निर्वहन में स्वैच्छया बाधा डालना समझा जाएगा, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 186 के अधीन दण्डनीय होगा और वह कोड ऑफ किमिनल प्रोसीजर, 1898 में, किसी बात के होते हुए भी, संज्ञेय अपराध होगा।¹

22— (1) राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा और गजट में पूर्व प्रकाशन के पश्चात् इस अधिकार

नियम बनाने का

अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :-

[(क) धारा (4) खण्ड (7), (14) और (15) में उल्लिखित सदस्यों के आवर्तन की रीति और उनकी पदावधि]²

(ख) परिषद् समितियों और उपसमितियों के सदस्यों और उनमें अनुमेलित व्यक्तियों को देय यात्रा भत्तों की दरें और उनके भुगतान की रीति;

(ग) परिषद्, सभापति उपसभापति और सचिव के अतिरिक्त अधिकार, कर्तव्य और कृत्य; और

(घ) कोई अन्य विषय, जो इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा नियत किया जाना हो या नियत किया जा सके।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन तक रखे जायेंगे और जब तक कि कोई वाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिष्कार या अभिशून्यन (annulment) के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन नियमों के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

[22-क— (1) किसी विधि, लेख्य या डिग्री या न्यायालय के किसी आदेश या अन्य संलेख में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक संस्था के लिए चाहे वह उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1974 के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा उसके पश्चात् सम्बद्ध हुआ हो, एक प्रशासन योजना होगी।

प्रशासन योजना

(2) प्रशासन योजना में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी प्रबन्ध समिति संगठित करने की व्यवस्था होगी, जिसमें सम्बद्ध संस्था के कार्यकलापों का प्रबन्ध तथा संचालन करने का प्राधिकार निहित होगा।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 23, 1966 की धारा 9 द्वारा धारा 21 की संख्या बदल कर उसे उसकी उपधारा (1) कर दिया गया और उपधारा (2) बढ़ा दी गई।
2. उपर्युक्त की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।

{उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962}
ग}

{धारा 22 ख-22

(3) सम्बद्ध संस्था का प्रधानाचार्य प्रबन्ध समिति का पदेन सदस्य होगा, जिसे मत देने का अधिकार होगा।

(4) सम्बद्ध संस्था का प्रधानाचार्य उस दशा में प्रबन्ध समिति की बैठक में न तो उपस्थित होगा और न मत देने के अपने अधिकार का प्रयोग करेगा, जब कभी उसके व्यक्तिगत आचरण से सम्बन्धित आरोप पर विचार विमर्श किया जा रहा हो।

(5) प्रशासन योजना में, किन्हीं विनियमों के अधीन रहते हुए, सम्बद्ध संस्था के प्रधानाचार्य और प्रबन्ध समिति की अपनी-अपनी शक्तियों, कर्तव्यों तथा कृत्यों का भी वर्णन होगा।

(6) यदि एक से अधिक सम्बद्ध संस्था एक ही निकाय या प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित हो तो प्रत्येक ऐसी संस्था के लिए, जब तक किसी वर्ग की सम्बद्ध संस्थाओं के लिए विनियमों में अन्यथा व्यवस्था न की गई हो, एक पृथक समिति होगी।

(7) प्रत्येक सम्बद्ध संस्था की प्रशासन योजना निदेशक के अनुमोदनाधीन होगी और ऐसी योजना में निदेशक के लिखित पूर्व अनुमोदन के बिना किसी समय न तो कोई संशोधन और न कोई परिवर्तन किया जाएगा।

(8) प्रत्येक सम्बद्ध संस्था का प्रबन्ध इस धारा और धारा 22-ख तथा 22-ग के अधीन तथा उनके अनुसार बनाई गई प्रशासन योजना के अनुसार किया जायगा।

22-ख— (1) उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1974 के प्रारम्भ होने के दिनांक को पहले से ही सम्बद्ध संस्था की दशा में प्रशासन योजना का एक प्रारूप उक्त प्रारम्भ प्रस्तुत

अवधि, जिसके भीतर
प्रकाशन योजना

से छः मास के भीतर धारा 22—ग के अनुसार तैयार किया जायगा और निदेशक को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायगा तथा अन्य सभी मामलों में सम्बद्धता के लिए आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायगा।

की जायगी

(2) यदि कोई ऐसी संस्था, जो उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1974 के प्रारम्भ होने के समय पहले से ही सम्बद्ध हो, व्यवस्थित अवधि के भीतर उपधारा (1) के उपबन्धों का अनुपालन करने में चूक करती है तो निदेशक ऐसी संस्था की एक नोटिस भेजेगा, जिसमें उससे तीन मास को अग्रेत्तर अवधि के भीतर प्रशासन योजना प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति के पूर्व सम्बद्ध संस्था द्वारा अभ्यावेदन दिए जाने पर निदेशक स्वविवेक से, अवधि को अग्रेत्तर तीन मास के लिए बढ़ा सकता है।

(3) यदि योजना अनुमत समय के भीतर प्रस्तुत न की जाय तो निदेशक धारा 22—घ की उपधारा (3) के खण्ड (2) या (ख) के अनुसार कार्यवाही करेगा।

22—ग— (1) प्रशासन योजना का अनुमोदन करने के लिए सिद्धान्तों को नियंत्रित प्रारूप

प्रशासन योजना के

करने वाले विनियमों के अधीन रहते हुए, निदेशक ऐसी समयावधि के भीतर, जैसी विनियमों में निर्दिष्ट की जाय या तो धारा 22—ख के अधीन प्रस्तुत की गई प्रशासन योजना के प्रारूप का अनुमोदन करेगा या उसमें किसी परिवर्तन अथवा परिष्कार का सुझाव देगा।

का अनुमोदन

(2) यदि निदेशक उपधारा (1) के अधीन प्रशासन योजना के प्रारूप में किसी परिष्कार का सुझाव दे तो वह उसके लिए अपने कारणों को बताते हुए, उसकी एक प्रति सम्बद्ध संस्था को भेजेगा और ऐसी संस्था को, ऐसी समयावधि के भीतर, जैसी विनियमों में निर्दिष्ट की जाय, अभ्यावेदन देने का अवसर देगा :

{उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962} {धारा 22—घ}

प्रतिबन्ध यह है कि यदि निदेशक विनियमों में निर्दिष्ट समयावधि के भीतर योजना के प्रारूप में किसी परिवर्तन या परिष्कार का सुझाव न दे तो योजना का प्रारूप अनुमोदित समझा जायगा।

(3) निदेशक उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार दिए गए किसी अभ्यावेदन पर विचार करेगा और प्रशासन योजना का अनुमोदन उसके मूल रूप में अथवा उक्त उपधारा के अधीन सुझाए गए परिष्कार के रहते हुए अथवा किसी अन्य परिष्कार के साथ, जो उसे ठीक और उचित प्रतीत हो, कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि निदेशक प्रशासन योजना में किसी नये परिष्कार का प्रस्ताव करे तो वह सम्बद्ध संस्था को ऐसी समयावधि के भीतर, जैसी विनियमों में निर्दिष्ट हो, अभ्यावेदन देने का अवसर देगा।

22—घ— (1) निदेशक किसी सम्बद्ध संस्था का समय—समय पर निरीक्षण करा निरीक्षण

सम्बद्ध संस्था का

सकता है।
निराकरण

तथा त्रुटियों का

(2) निदेशक निरीक्षण के समय अथवा अन्य प्रकार से पाई गई किसी त्रुटि या कमी का निराकरण करने के लिए किसी सम्बद्ध संस्था के प्रबन्धतंत्र को निदेश दे सकता है।

(3) यदि प्रबन्धतंत्र उपधारा (2) के अधीन दिए गए किसी निदेश का अनुपालन करने में चूक करे तो निदेशक, प्रबन्धतंत्र द्वारा दिए गए किसी स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् —

(क) सम्बद्धता वापस लेने के लिए मामला परिषद् को अभिदिष्ट कर सकता है; या

(ख) उपधारा (4) के अधीन सम्बद्ध संस्था के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश कर सकता है।

(4) यदि उपधारा (3) के खण्ड (ख) में अभिदिष्ट सिफारिश के प्राप्त होने पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि संस्था के हित में यह आवश्यक है कि उस संस्था का प्रबन्ध किसी प्राधिकृत नियन्त्रक को सौंप दिया जाय तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा ऐसी अवधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय एक प्राधिकृत नियन्त्रक

नियुक्त कर सकती है और वह प्राधिकृत नियन्त्रक प्रबन्ध समिति या अन्य किसी भी व्यक्ति को अपवर्जित कर संस्था का प्रबन्ध, जिसके अन्तर्गत संस्था की अथवा उसमें निहित भूमि, भवन, निधि तथा अन्य परिसम्पत्तियाँ भी हैं, अपने हाथ में ले सकता है और जब कभी प्राधिकृत नियन्त्रक इस प्रकार प्रबन्ध अपने हाथ में ले, जो उसे केवल ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जिन्हें राज्य सरकार आरोपित करे, संस्था के प्रबन्ध के सम्बन्ध में ऐसी सभी शक्तियाँ तथा प्राधिकार होंगे, जो प्रबन्ध समिति को होते यदि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश दिया गया होता।

(5) एक अवधि, जिसके लिए उपधारा (4) के अधीन कोई आदेश दिया जा सकता है, प्रथमतः एक वर्ष से अधिक न होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि संस्था का समुचित प्रबन्ध बनाए रखने के उद्देश्य से ऐसा करना इष्टकर है तो वह समय-समय पर आदेश के प्रवर्तन को एक बार में एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए, जैसा विनिर्दिष्ट करे, बढ़ा सकती है किन्तु इस प्रकार आदेश के प्रवर्तन की कुल अवधि, जिसके अन्तर्गत उपधारा (4) के अधीन प्रारम्भिक आदेश में निर्दिष्ट अवधि भी है, पाँच वर्ष से अधिक न हो :

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि यदि उक्त पाँच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर संस्था की विधिपूर्वक संघटित कोई प्रबन्ध समिति न हो तो प्राधिकृत नियन्त्रक प्रबन्ध अपने हाथ में तब तक करेगा जब तक कि राज्य सरकार का यह समाधान न हो जाय कि प्रबन्ध समिति विधिपूर्वक संघटित हो गई है :

{उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962}

{धारा 22ड-22च}

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार उपधारा (4) या इस उपधारा के अधीन दिए गए किसी आदेश को किसी समय विखण्डित कर सकती है।

(6) कोई आदेश, जो उपधारा (4) के अधीन प्राधिकृत नियन्त्रक नियुक्त किया जाय, सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करने में अपने द्वारा सद्भावना के किये गये कृत्यों के लिए वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी न होगा।

(7) उपधारा (4) के अधीन दिया गया कोई आदेश या निदेश संस्था के प्रबन्ध तथा नियन्त्रण (जिसके अन्तर्गत कोई प्रशासन योजना भी है) से सम्बन्धित अथवा संस्था की या उसमें निहित किसी सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी अन्य अधिनियमिति या संलेख में तत्सम्बन्धी कोई असंगत बात अन्तर्विष्ट होने पर भी प्रभावी होंगे।

(8) उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन सम्बद्धता वापस लेने के लिए परिषद् द्वारा दिए गए किसी आदेश और उपधारा (4) के अधीन दिए गए किसी आदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

(9) इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ किसी अन्य विधि के अधीन राज्य सरकार या प्राधिकृत नियन्त्रक को प्रदत्त किन्हीं शक्तियों के अतिरिक्त होंगी और उनका अल्पीकरण करने वाली न होगी।

22-ड— (1) प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तथा अध्यापकों की नियुक्ति

अध्यापकों की

अर्हताएं विनियमों द्वारा निर्धारित की जाएगी :

प्रतिबन्ध यह है कि परिषद्, निदेशक की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् किसी व्यक्ति को उसके अनुभव, शिक्षा तथा अन्य उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम अर्हताओं की अपेक्षाओं से छूट दे सकती है।

(2) प्रत्येक सम्बद्ध संस्था में अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चयन करने के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति संघटित की जायेगी, जिसमें ऐसी संस्था का अध्यक्ष उसका पदेन सदस्य होगा।

(3) किसी सम्बद्ध संस्था के प्रधानाचार्य का चयन करने के लिए इसी प्रकार तीन सदस्यों को एक चयन समिति होगी, जिसमें से एक व्यक्ति उपधारा (4) में अभिदिष्ट संभागीय पेनल में से प्रबन्ध समिति द्वारा चुना गया ऐसा व्यक्ति होगा, जो उस जिले का न हो, जहाँ सम्बद्ध संस्था स्थित हो।

(4) निदेशक, उपधारा (3) में अभिदिष्ट चयन समिति में नाम निर्दिष्ट सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए प्रत्येक संभाग के निमित्त व्यक्तियों का एक पैनल बनायेगा।

(5) उपधारा (2) तथा (3) में अभिदिष्ट चयन समिति का संघटन उसकी बैठकों में कार्य संचालन, संभागीय पैनलों का तैयार किया जाना तथा अन्य विषय विनियमों द्वारा विनियमित होंगे।

22—च— (1) एतदपश्चात् निर्दिष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति किसी अध्यापक

प्रधानाचार्य तथा

सम्बद्ध संस्था में प्रधानाचार्य या अध्यापक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि —

के चयन की प्रक्रिया

(क) विनियमों में निर्धारित अर्हताएं उसके पास न हों अथवा से धारा 22—क की उपधारा (1) के अधीन ऐसी अर्हताओं से छूट न दी गई हो,

(ख) उसके लिए उक्त धारा की उपधारा (2) या उपधारा (3), जैसी भी दशा हो, के अधीन संघटित चयन समिति द्वारा सिफारिश न की गई हो और निदेशक द्वारा उसका अनुमोदन न किया गया हो :

{उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962}

{धारा

22—छ}

प्रतिबन्ध यह है कि यदि निदेशक का यह समाधान हो जाय कि किसी सम्बद्ध संस्था के लिए कोई ऐसा अभ्यर्थी, जो विनियमों द्वारा निर्धारित सभी अर्हताएं रखता हो, नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है तो वह सम्बद्ध संस्था को एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति अस्थायी रूप से सेवायोजित करने की अनुज्ञा दे सकता है :

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि एक वर्ष की ऐसी अवधि निदेशक के पूर्वानुमोदन से बढ़ाई जा सकती है :

प्रतिबन्ध यह भी है कि छुट्टी की रिक्ति अथवा सम्बद्ध संस्था के सत्र के किसी भाग के लिए होने वाली किसी रिक्ति की दशा में कोई प्रधानाचार्य या अध्यापक नियुक्त करना प्रबन्ध समिति के लिए विधिपूर्ण होगा और उस दशा में ऐसी नियुक्ति की सूचना निदेशक को तत्काल दी जायगी।

(2) चुने गये अभ्यर्थी का नाम अनुमोदन के लिए निदेशक को सूची के साथ भेजा जायेगा, जिसमें उन सभी अभ्यर्थियों के, जिन्होंने चयन के लिए आवेदन-पत्र दिया हो, नाम, अर्हतायें तथा ऐसे अन्य ब्यौरे होंगे, जो विनियमों द्वारा निर्धारित किये जायें।

(3) निदेशक, उपधारा (2) में उल्लिखित संगत पत्रादि की प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर अपना निर्णय देगा। ऐसा न करने पर यह समझा जायेगा कि अनुमोदन दे दिया गया है।

(4) यदि निदेशक उपधारा (1) के अधीन प्रस्तावित किसी नाम का अनुमोदन उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे न करे तो प्रबन्ध-तंत्र अननुमोदन की प्राप्ति के तीन सप्ताह के भीतर उसके विरुद्ध राज्य सरकार को अभ्यावेदन दे सकता है, जिसका उस विषय में निर्णय अन्तिम होगा।

(5) यदि उपधारा (2) के अधीन दी गयी सिफारिश, अननुमोदित कर दी गई हो और उपधारा (4) के अधीन प्रबन्धतंत्र का अभ्यावेदन, यदि कोई हो, अस्वीकार कर दिया गया हो तो चयन समिति धारा 22—ड तथा इस धारा में व्यवस्थित रीति से अनुमोदन के लिए दूसरे नाम का चयन और सिफारिश करने की कार्यवाही करेगी।

(6) यदि उपधारा (5) के अधीन किया गया चयन पुनः अननुमोदित कर दिया जाय और अननुमोदन के विरुद्ध अभ्यावेदन, यदि कोई हो, स्वीकार न किया गया हो तो निदेशक रिक्ति के लिए आवेदन-पत्र देने वाले अभ्यर्थियों की सूची में से किसी भी अर्हता प्राप्त व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है और ऐसी नियुक्ति अन्तिम होगी।

22—छ— (1) कोई प्रधानाचार्य या अध्यापक, निदेशक की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना, पदच्युति या

अध्यापकों की

न तो सेवा से उन्मुक्त या हटाया या पदच्युत किया जा सकता है, न पंक्तिच्युत किया जा सकता है, न उसकी उपलब्धियों में कोई कमी की जा सकती है और न उस पर सेवा समाप्त करने की नोटिस तामील की जा सकती है। निदेशक का निर्णय ऐसी अवधि के भीतर, जिसकी व्यवस्था विनियमों द्वारा की जाय, संसूचित किया जायेगा।

हटाया जाना आदि

(2) निदेशक दण्ड का अनुमोदन या अननुमोदन कर सकता है अथवा उसे घटा या बढ़ा सकता है। या प्रबन्ध-तंत्र द्वारा प्रतिस्थापित सेवा की समाप्ति की नोटिस का अनुमोदन या अननुमोदन कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी दण्ड की दशा में आदेश देने के पूर्व, निदेशक प्रधानाचार्य या अध्यापक को नोटिस की प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर वह कारण बताने का अवसर देगा कि प्रस्तावित दण्ड का अनुमोदन क्यों न कर दिया जाय।

(3) इस धारा की कोई बात किसी जाँच के विचाराधीन रहने के दौरान अथवा उसको ध्यान में रखते हुए निलम्बन के किसी आदेश पर लागू न होगी।}

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 35, 1974 की धारा 4 द्वारा बढ़ाए गये।

{उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962} {धारा 23}

23— (1) परिषद् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए इसके बनाने का उपबन्धों तथा तद्धीन बनाये गये नियमों से सुसंगत विनियम बना सकती है और उसे राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ भेज सकती है। राज्य सरकार विनियमों का अनुमोदन या उसमें परिष्कार या परिवर्तन कर सकती है। राज्य सरकार द्वारा यथा अनुमोदित विनियम गजट में प्रकाशित किये जायेंगे और प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे, किन्तु यदि कोई दिनांक निर्दिष्ट किया जाये तो उस दिनांक से, प्रभावी होंगे।

(2) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विनियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :—

(क) इस अधिनियम के अधीन संघटित समितियों तथा उप-समितियों की नियुक्ति, संघटन, अधिकार और कर्तव्य;

(ख) प्रमाण-पत्र तथा डिप्लोमा प्रदान करने की रीति और शर्तें;

(ग) संस्थाओं को सम्बद्ध करने की शर्तें;

(घ) प्रमाण-पत्रों तथा डिप्लोमों के निमित्त परीक्षाओं के लिए नियत किये जाने वाले पाठ्यक्रम;

(ङ) वे शर्तें, जिनके अधीन अभ्यर्थी परिषद् की परीक्षाओं में बैठ सकेंगे और प्रमाण-पत्र तथा डिप्लोमा पाने के पात्र होंगे;

(च) परिषद् की परीक्षाओं में बैठने के लिए शुल्क और उनकी वसूली की रीति;

(छ) परीक्षाओं का संचालन;

(ज) परिषद् की परीक्षाओं के सम्बन्ध में परीक्षकों, प्रश्न-पत्र परिष्कारकों, तुलनाकारों, परिनिरीक्षकों, सारिणीकारों, केन्द्र निरीक्षकों, केन्द्र निरीक्षकों, केन्द्र के अधीक्षकों तथा अधीक्षकों की नियुक्ति और उनके अधिकार तथा कर्तव्य तथा उसके पारिश्रमिक की दरें;

(झ) सम्बद्धता प्राप्त करने कर इच्छुक संस्थाओं के लिए आवश्यक इमारतों, जिनके अन्तर्गत उनसे सम्बद्ध भूमि भी है, सज्जा तथा उपकरण के मानदण्ड;

{(ञ) सम्बद्ध संस्थाओं के अध्यापक और गैर अध्यापक वर्ग के सदस्यों की अर्हतायें, सेवा की शर्तें, वेतनक्रम तथा संख्या;}

(ट) परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं के फल प्रकाशित करना;

(ठ) सम्बद्ध संस्था में भर्ती के लिए विद्यार्थियों की न्यूनतम शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं;

(ड) सम्बद्ध संस्थाओं में विद्यार्थियों की भर्ती;

(ढ) यह सुनिश्चित करने के लिए सम्बद्ध संस्थाओं का निरीक्षण करना कि नियत पाठ्यक्रमों का यथोचित रूप से अनुसरण किया जाय और शिक्षण की सुविधाओं की यथोचित व्यवस्था की जाय तथा उनका यथोचित उपयोग हो;

(ण) वे परिस्थितियाँ, जिनमें अभ्यर्थी को परिषद् की परीक्षा में बैठने या सम्बद्ध संस्था में पाठ्य-क्रम पूरा करने की अनुमति न दी जाये;

(त) परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा के फल को रोकना या रद्द करना तथा परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा को किसी अभ्यर्थी के सम्बन्ध में रद्द करना;

(थ) वे परिस्थितियाँ, जिनके अधीन किसी संस्था की सम्बद्धता वापस ली जाये या उसे सम्बद्ध करने से इन्कार किया जाय;

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 35, 1974 की धारा 5(1) द्वारा प्रतिस्थापित और सदैव से प्रतिस्थापित समझा जाय।

{उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962}

{धारा

24—25}

(द) केन्द्र का निरीक्षण करना; {***}₁

{(द क) प्रधानाचार्य तथा प्रबन्ध समिति की शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य;

(द ख) सिद्धान्त, जिसके अन्तर्गत किसी प्रशासन योजना का अनुमोदन किया जा सकता है;

(द ग) समयावधि, जिसमें धारा 22-ग की उपधारा (2) के अधीन निदेशक को अभ्यावेदन दिया जा सकता है;

(द घ) समयावधि, जिसकी समाप्ति पर किसी प्रशासन योजना के प्रारूप को धारा 22-ग की उपधारा (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन निदेशक द्वारा अनुमोदित किया गया समझा जायगा;

(द ङ) समयावधि, जिसमें धारा 22-ग की उपधारा (3) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन किसी सम्बद्ध संस्था द्वारा अभ्यावेदन किया जा सकता है;

(द च) धारा 22-ख की उपधारा (2) तथा उपधारा (3) में अभिदिष्ट चयन समिति का संघटन, उनकी बैठकों में कार्य संचालन और सम्भागीय पैनों का तैयार किया जाना;

(द छ) धारा 22-च की उपधारा (2) के अधीन निदेशक को अग्रसारित किये जाने वाले विवरण;

(द ज) सम्बद्ध संस्थाओं के प्रधानाचार्यों तथा अध्यापकों की नियुक्ति और सेवा की शर्तों से सम्बन्धित समस्त विषय; }₂

(ध) कोई अन्य विषय, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन विनियमों द्वारा नियत किया जाना हो अथवा नियत किया जा सके।

24— (1) परिषद्, इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये नियमों और विनियमों के का

उपविधियाँ बनाने

उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिए उपविधियाँ बना सकती है।

अधिकार

(2) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त उपविधियों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :—

(क) परिषद् की बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या;

(ख) परिषद्, समिति या उपसमिति के सदस्यों को उसकी बैठक के दिनांक तथा उस बैठक में विचारणीय बातों की सूचना देगा और उक्त बैठक की कार्यवाहियों का अभिलेख रखना; और

(ग) कोई अन्य विषय, इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन उपविधियों द्वारा नियत किया जाना हो अथवा नियत किया जा सके।

25— इस अधिनियम के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, इस उपबन्ध

संक्रमणकालीन

अधिनियम के प्रारम्भ होने पर—

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 35, 1974 की धारा 5 (2) द्वारा निकाला गया।
2. उपर्युक्त की धारा 5 (2) द्वारा बढ़ाये गये।

{उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962}

{धारा

26}

(1) समय-समय पर यथापरिष्कृत, दिनांक 13 मई 1958 की सरकार आज्ञा संख्या 1687/ए/3—160—के-1958 के अधीन संघटित बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (जिसे यहाँ आगे “प्राविधिक शिक्षा बोर्ड” कहा गया है) को उस समय तक धारा 3 के अधीन स्थापित परिषद् समझा जायगा जब तक कि उक्त धारा तथा धारा 4 के उपबन्धों के अनुसार परिषद् की स्थापना नहीं हो जाती और परिषद् की इस प्रकार स्थापना हो जाने पर प्राविधिक शिक्षा बोर्ड विघटित हो जायगा।

(2) प्राविधिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन तथा वाइस-चेयरमैन को क्रमशः धारा 4 के अधीन नियुक्त सभापति द्वारा तथा उप-सभापति उस समय तक समझा जायगा जब तक

कि उक्त धारा के अनुसार, यथास्थिति, सभापति अथवा उप-सभापति की नियुक्ति नहीं हो जाती;

(3) प्राविधिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्य-पुस्तक तथा पाठ्य-चर्या समिति, परीक्षा समिति, परीक्षा-फल समिति तथा निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति में से प्रत्येक उस समय तक धारा 18 के अधीन संघटित समिति के रूप में कार्य करेगी जब तक कि उस धारा के अधीन तत्सदृश समिति संघटित नहीं हो जाती और समिति के इस प्रकार संघटित हो जाने पर प्राविधिक शिक्षा बोर्ड की तत्सदृश समिति विघटित हो जायगी;

(4) प्राविधिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध प्रत्येक संस्था उन्हीं शर्तों पर परिषद् से सम्बद्ध समझी जायगी; और

(5) उक्त प्रारम्भ के पूर्व प्राविधिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पारित कोई संकल्प, जब तक कि उस विषय पर विनियम न बन जायें, उसी प्रकार प्रभावी होगा, जैसा कि इस अधिनियम के अधीन बनाया गया कोई विनियम।

26— राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में उत्पन्न होने करने का कठिनाइयां दूर वाली किसी कठिनाई को दूर करने के लिए, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के बाद एक वर्ष की अवधि के दौरान में किसी ऐसे विषय का आदेश द्वारा विनियमन कर सकती है, जो इस अधिनियम के अधीन नियम अथवा विनियम द्वारा विनियमित होता है, भले ही इस अधिनियम में कोई अन्य बात दी हो। अधिकार

THE UTTAR PRADESH PRAVIDHIK SHIKSHA ADHINIYAM, 1962¹ [U. P. ACT NO. XVII of 1962]

Amended by-

U. P. Act no. XXIII of 1966

U. P. Act no. XXXV of 1974.

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Council on September 18, 1962 and by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on November 1, 1962 and again passed by the Uttar Pradesh Legislative Council, with amendments made by Uttar Pradesh Legislative Assembly on November 5, 1962.]

Received the assent of the Governor on November 23, 1962 under Article 200 of 'the Constitution of India', and was published in the Uttar Pradesh Gazette Extraordinary, dated November 30, 1962.]

AN

ACT

to provide for the Establishment and Constitution of a Board of Technical Education in Uttar Pradesh and for matters connected therewith.

It is hereby enacted in the Thirteenth Year of the Republic of India as follows :--

Short title and extent 1- (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Pravidhik Shiksha Adhiniyam, 1962.

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

Definitions 2- In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context--

(a) "affiliated institution" means an institution affiliated to the Board in respect of any course or courses of study in accordance with the provisions of the Act or the regulations made thereunder ;

(b) "Board" means the Uttar Pradesh Pravidhik Shiksha Parishad (Board of Technical Education, Uttar Pradesh) established under section 3 ;

(c) "bye-laws" means the bye-laws made under section 24 ;

(d) "centre" means the institution or the place fixed by the Board for the purpose of holding its examinations and includes the premises attached or appurtenant thereto;

(e) "certificate" means the certificate awarded by the Board to a person for successfully completing in an affiliated institution such courses of study as may from time to time be prescribed by regulations ;

(f) "Chairman" means the Chairman of the Board appointed by the State Government under section 4 ;

(g) "diploma" means a diploma awarded by the Board to a person for successfully completing in an affiliated institution such courses of study as may from time to time be prescribed by regulations;

[The Uttar Pradesh Pravidhik Shiksha Adhiniyam, 1962]

[Section 3-4]

[and includes a preparatory diploma, advanced diploma, higher diploma, intermediate diploma or a diploma awarded [or completing a post-diploma course;]¹

[(gg) "Director" means the Director of Technical Education, Uttar Pradesh and includes for the purposes of sections 22-A to 22-G, any officer not below the rank of Deputy Director, Technical Education authorized by the Director in that behalf;]²

(h) "invigilator" means a person who assists the Superintendent of a Centre in conducting and supervising the examinations at the Centre and includes a project observer in relation to a project examination;

[(hh) "Management" or Committee of Management, in relation to an affiliated institution, means the Managing Committee or other body charged with managing the affairs of that institution ;]³

(i) "member" means a member of the Board and includes the Chairman and the Vice-Chairman thereof;

(j) "regulations" means regulations made under section 23 ;

(k) "rules" means rules made by the State Government under section 22 ; .

(l) "Secretary" means the Secretary of the Board appointed by the State Government under section 11 ;

(m) "State" means the State of Uttar Pradesh;

(n) "Superintendent of Centre" means the person appointed by the Board to conduct and supervise examinations of the Board and includes an additional Superintendent and an associate Superintendent; and

(o) "Vice-Chairman" means the Vice-Chairman of the Board appointed by the State Government under section 4.

Establishment
of the Board
(i.e. the
made
one

3-

There shall be established by the State Government by notification in the of *Gazette* a Board to be called the Uttar Pradesh Pravidhik Shiksha Parishad Board of Technical Education, Uttar Pradesh) and such a notification may be at any time after the commencement of this Act, notwithstanding the fact that or more of the seats of members are yet to be filled.

Constitution of
the Board

4-

(1)⁴ The Board shall consist of the following members; namely :--

- (i) the Chairman, nominated by the State Government;
- (ii) the Vice-Chairman nominated by the State Government;

(iii) four members elected by the State Legislative Assembly from amongst Its members;

(iv) two members elected by the State Legislative Council from amongst its members;

1.Ins. by section 2 of U. P. Act No. 23 of 1966.

2.Ins. by section 2(i) of U.P. Act No. 35. 1974.

3.Ins. by section 2 (ii) ibid.

4.Renumbered by section 3 ibid.

[The Uttar Pradesh Pravidhik Shiksha Adhiniyam, 1962]

[Section 4]

(v) one representative each of the departments of [Industries and Finance]¹ of the State Government;

(vi) two representatives of industry, nominated by the State Government ;

(vii) one principal from amongst the principals of the Degree Colleges for Girls tuate in the State to be nominated by the State Government;

(viii)one representative of [Ministry of for the time being dealing with Technical Education]² Government of India;

(ix) one representative of the Northern Regional Committee of the All India Council for Technical Education·

(x) one representative of the Railway Board;

(xi) one representative of the Institution of Engineers (India);

(xii) one representative of the Indian Institute of Technology, Kanpur ;

(xiii) one representative of the Military Engineering Service, [of the Command having Its headquarters in the State.]³

(xiv) four of the principals of the institutions affiliated to the Board, by rotation in the manner prescribed by rules ;

[(xv) one representative of each university established by or under an Uttar Pradesh Act having a Faculty of Engineering or Technology, by whatever name called so, however, that where the number of such universities exceeds five, only five universities shall be represented by rotation in the manner prescribed by rules;]⁴

(xvi) the Chief Engineers of the Public Works, Local Self Government (Engineering) and Irrigation departments of the State Government-ex-officio ; (xvii) the Chief Engineer of the State Electricity Board- ex-officio;

(xviii) the Vice-Chancellor of the Roorkee University- ex- officio;

(xix) the [Director of Education, [Secondary Education]⁵ Uttar Pradesh-ex-officio ;

(xx) the Director, Training and Employment, Uttar Pradesh - ex-officio;

(xxi) the Director of Technical Education, Uttar Pradesh - ex-officio;

(xxii) the Director of Industries, Uttar Pradesh-ex-officio ;

(xxiii) the Electrical Inspector to the State Government- ex-officio; and

(xxiv) two persons, nominated by the State Government.

(2) The members mentioned in clauses (xvi), (xvii), (xix), (xx) and (xxii) of sub-section (1) may, instead of attending any meeting of the Board themselves, depute any officer subordinate to them not below the rank of Deputy Chief Engineer or Deputy Director, as, the case may be, and the officers so deputed shall be entitled to take part in the proceedings of the particular meeting for which they are deputed and shall also be entitled to vote at such meetings.]⁶

1.Subs. by section 3 (i) of U. P. Act no. XXIII of 1966.

2.Subs. by section 3 (ii) *ibid*.

3.Subs. by section 3 (iii) *ibid*.

4.Subs. by section 3 (iv) *ibid*.

5.Subs. by section 3 (a) of U.P. Act no. 35 of 1974.

6.Ins. by section 3 (b) *ibid*.

[The Uttar Pradesh Pravidhik Shiksha Adhiniyam, 1962]

[Section 5-10]

Co-option of experts three 5- The Board may co-opt such persons, not exceeding three, as may be experts in subjects included in the courses of study laid down by the Board. Name of the persons co-opted and the term of co-option of each, which shall not exceed years, shall be notified in the Gazette.

[6- (1) Subject to the provisions of sub-sections (3) and (4) and of section 7-

[(a) the term of office of members mentioned in clauses (i) to (iv), (vi), (ix) and (xxiv) of section 4 shall be three years from the respective dates on which their appointment is notified in the Gazette ;

(b) the term of office of members mentioned in clauses (vii), (xiv) and (xv) of section 4 shall be such as may be prescribed by rules.

(2) Members mentioned in clauses (v), (viii) and (x) to (xiii) of section 4, may be nominated by the appropriate authorities or bodies from time to time.

(3) Except *ex-officio* members and members referred to in sub- section (2), a member may at any time by writing under his hand, addressed to the Secretary to the Board resign his office.

(4) A member shall cease to hold office as such when he ceases to hold the office by virtue of which or the capacity in which he became eligible or was nominated for the membership.]

Removal of member continuance one 7- The State Government may remove from the membership a member who in its opinion has so abused his position as such member as to render his Board detrimental to the public interest :

Provided that the State Government shall, before removing a member as aforesaid, give him an opportunity of explanation and shall place on record the reasons for his removal.

Meetings of the Board the bye- 8- (1) The Board shall meet at such times and places and shall, subject to the provisions of sub-sections (2) and (3), observe such procedure in transacting business at its meeting, including the quorum thereat, as may be provided by laws made in this behalf.

(2) The Chairman and in his absence the Vice-Chairman shall preside at the meetings of the Board. In the absence of both, any member chosen by the members present in the meeting shall preside at that meeting.

(3) All questions arising in a meeting of the Board shall be decided by majority of votes of the members present and voting and in case of equality of votes, the person presiding at such meeting shall have a second or casting vote.

Vacancies, etc. 9- No act or proceedings of the Board or of a Committee appointed by it, shall be deemed to be invalid by reason merely of the existence of any vacancy in, or defect in the constitution of the Board or the committee, or because of any irregularity in procedure if not affecting the merits of the Case.

Office of the Board 10- The office of the Board shall be located at such place In Uttar Pradesh as may be fixed by the State Government.

----- 1.Subs. section 4 of U. P. Act No. XXIII of 1966.

[The Uttar Pradesh Pravidhik Shiksha Adhiniyam, 1962]
11-13]

[Section

Secretary of the the Board 11- (1) The State Government shall appoint a Secretary to the Board to assist Board In carrying out the purposes of this Act.

(2) The Secretary shall be a Government servant.

Functions and duties of the Board 12- Subject to the provisions of this Act and the rules and regulations made thereunder, the functions and duties of the Board shall be-

(i) to affiliate institutions and prescribe courses of study and instructions leading to examinations conducted by it;

(ii) to prescribe standards for buildings and equipment of affiliated institutions;

(iii) to prescribe educational qualifications and other standards for the members of staff of affiliated institutions.

(iv) to prescribe educational and other qualifications for admission of students to affiliated institutions ;

(v) to prescribe the manner of admission of students to affiliated institutions;

(vi) to admit candidates to examinations conducted by it;

(vii) to conduct examinations for promotion, from lower to higher classes and also for awarding certificates and diplomas;

(viii) to publish results of examinations conducted by it ;

(ix) to grant certificates and diplomas to students who have completed the prescribed courses of study in an affiliated institution and have passed the examinations conducted by it ;

(x) to co-operate with other authorities and bodies in such manner and for such purposes as may be necessary for giving effect to the provisions of this Act;

(xi) to advise the State Government on co-ordinated development of technical education and training regarding the same;

(xii) to do all other such acts and things as may be necessary for the proper discharge of its functions under this Act or the rules or-regulations made thereunder; and

(xiii) to carry out such other duties as may be imposed upon it under this Act or the rules or regulations made thereunder.

Powers of the made Board 13- (1) The Board shall, subject to the provisions of this Act and the rules thereunder, have all such powers as may be necessary for the discharge of its functions and the performance of its duties under this Act, or the rules or regulations made thereunder.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, the Board shall have the powers:

[(i) to cancel an examination or withhold the result of an examination of a candidate, or to disallow him from appearing at any future examination who is found by it to be guilty of ---

(a) using unfair means in the examination; or ,

(b) making any incorrect statement or suppressing material information or fact in the application form for admission to the institution or to the examination; or

[The Uttar Pradesh Pravidhik Shiksha Adhiniyam, 1962]
14]

[Section

(c) fraud or impersonation at the examination; or

(d) securing admission to the examination in contravention of the rules governing admission to such examination or;

(e) any act of gross discipline in the course of the examination ;]¹

[(i-A) to deduct marks at an examination (if any candidate found by it to be guilty of any act of indiscipline in the course of the examination;]²
and

(ii) to cancel the result of an examination of any candidate [found by it to be guilty]³ of all or any of the acts mentioned in sub-clauses (a) to (d) of clause (i) or for any *bona fide* error of the Board in the declaration of the result :

Provided that the result of an examination shall not be cancelled on the ground of a *bona fide* error of the Board after the, expiry of go days from the date of announcement of the result of the examination.

(iii) to prescribe fees for the examinations conducted by it and provide for the manner of their realization;

(iv) to refuse affiliation of an institution-----

(a) which does not fulfill, or is not in a position to fulfill, or does riot come up to, the standards for staff instructions, equipment, or buildings laid down by the Board in this behalf; or

(b) which does not or is not willing to abide by the conditions of affiliation laid down by the Board in this behalf;

(v) to withdraw affiliation of an institution not able to adhere to, or make provision for, standards of staff instructions, equipment, or buildings laid down by the Board or on its failure to observe the conditions of affiliation the satisfaction of the Board;

(vi) to call for reports from the heads of affiliated institutions in respect of any act of contravention of the rules or regulations or decisions, instructions or directions of the Board, and take suitable action for the enforcement of the rules or regulations or decisions, instructions or directions of the Board, in such manner as may be prescribed by regulations;

(vii) to inspect an affiliated institution for the purpose of ensuring due observance of the prescribed courses of study and that facilities for instructions are duly provided and availed of; and

(viii) to fix the maximum number of students that may be admitted to courses of study in an affiliated institution.

(3) The decision of the Board in all matters mentioned in sub- sections (1) and (2) shall be final.

Powers of the
State
Government
Government

14- (1) The State Government may communicate to the Board, its views on any work done or conducted by the Board or in respect of any matter with which the Board's is concerned and the Board shall thereupon report to the State the action taken or proposed to be taken by it in regard thereto.

- 1.Subs, by Section 5 (i) of U. P. Act No, XXIII of 1966,
- 2.Insertion by Section 5 (ii) ibid.
- 3.Substituted by see, 5 (iii) ibid.

[The Uttar Pradesh Pravidhik Shiksha Adhiniyam, 1962]
15-17]

[Section

(2) If the Board fails to take action within a reasonable time to the satisfaction of the State Government or fails to communicate the action taken or proposed to be taken, the State Government may, after considering any explanation furnished or re-presentation made by the Board, Issue such directions consistent with the provisions of this Act and the rules and regulations made thereunder as it may think fit. The Board shall comply with the said directions within the time-specified therein and if it fails to do so the State Government may take all such steps as it may deem necessary to give effect to such directions.

[(3) Notwithstanding anything in sub-sections (1) and (2) the State Government, in any emergency which In its Opinion requires that immediate' action should be taken, may, without prior reference to the Board, issue such directions or take such other action consistent with the express provisions of this Act as it may think fit].

Powers and
of duties of the
decisions of Chairman
duties as may

15- (1) The Chairman shall, subject to the superintendence control and directions the Board, have the power to do all acts required for implementing the the Board and shall exercise such other powers and perform such other be prescribed by rules. .

(2) The Chairman shall, subject to the superintendence control and directions of the Board, have power to make such orders on the decisions of the committees constituted under sub-section (1) of section 18, as may be within the jurisdiction of the Board and as he may deem fit. The Chairman shall inform the Board of every such order at its next meeting.

(3) The Chairman may in an emergency, which in his opinion, requires that Immediate action should be taken, deal with any matter within the competence of the Board and, subject to the provisions of this Act, the rules and regulations made thereunder by order in writing take such action as he may deem necessary. The Chairman shall thereupon forthwith inform the Board, at its next meeting, of the action so taken.

(4) The Board may, subject to the provisions of sub-section (3) of section 14, confirm, set aside or modify the order passed by the Chairman under sub-section (2) or (3), and pass such other orders as may be considered expedient or necessary in regard to matters arising from the action taken by him.

(5) Any action taken or order passed, by the State Government under sub-section (3) of section 14, whether in respect of any matter dealt with by the Chairman under, sub-section (2) or (3) or otherwise, shall be final and be not questioned before any court of law and shall prevail over any order passed by the Chairman or the Board under this section.

Powers and
duties of the
vice-Chairman

16- The Vice-Chairman shall exercise such powers and perform such duties of the Chairman as may be prescribed by rules or delegated to him by the Chairman.

Powers and
duties of the
responsible Secretary
and perform

17- The Secretary shall be the Chief Executive Officer of the Board and shall, subject to the superintendence, control and directions of the Board, be for the execution of its decisions. He shall exercise such other powers such other duties as may be prescribed by rules, and in particular- ----

----- 1. Sub. by section 6 of U. P. Act no. XXIII of 1966.

[The Uttar Pradesh Pravidhik Shiksha Adhiniyam, 1962]
18-20]

[Section

(a) be responsible for the preparation of the estimates of accounts and annual statements of income and expenditure.

(b) be responsible for ensuring that all moneys allotted to the Board are spent for the purposes for which they are allotted;

(c) be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board; and

(d) be entitled to be present at the meetings of the Board and take part in the proceedings, but shall have no right of vote.

Constitution of 18-
and
committees sub-
officio committees

(1) The Board shall constituted [Committee of Courses]¹ Examination committee Committee, a Committee for Inspections and Affiliations and such other as may be prescribed by rules or regulations. The Secretary shall be an ex-member of each such committee.

(2) A committee constituted under sub-section (1) shall consist of such members and such other persons as the Board may in each case appoint. The term of a committee and the number of its members shall be such as maybe prescribed by regulations.

(3) A committee of the Board may co-opt such persons and for such period as it thinks fit, provided that the number of persons co-opted shall not exceed one-third of the total number of members of the committee.

(4) A member of a committee, or a person co-opted by it, may resign his office by writing addressed to the Board, or the committee, as the case may be.

(5) A casual vacancy in the committee caused by resignation under sub-section (4), or arising from any other cause, shall be filled by fresh appointment or co-option in the manner provided in sub-section (2) or (3), as the case may be.

(6) A committee appointed under this Act may constitute sub-committees for such purposes as may be prescribed by regulations and for such period as it may think fit.

[Delegation 19-
and reference
review to committees
under this by the Board
necessary.

(1) The Board may by general or special order delegate, either unconditionally or subject to such conditions and limitations if any, including the condition of by its self, as may be specified in the order, to any Committee appointed Act, such of its powers and duties under this Act as it may deem

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, the Board may refer any question arising in the course of the exercise of its powers or performance of its duties and functions under this Act to the appropriate Committee and where a reference is so made, the Board shall, before taking a decision thereon, consider the report, recommendations and suggestions of the Committee.]²

Authentication 20-
of orders and
by it, other
member as instruments of
the Board

(1) All decisions of the Board shall, subject to the provisions of this Act and the rules and regulations made thereunder, be arrived at by resolution, duly passed and shall be authenticated by the signature of the Chairman or such other may be authorized by the Board in this behalf.

----- 1.Subs. by section 7 of U. P. Act no, XXIII of 1966.

2.Subs. by section 8 ibid.

[The Uttar Pradesh Pravidhik Shiksha Adhiniyam, 1962]

[Section 21-22A]

(2) All instruments executed on behalf of the Board shall be authenticated by the signature of the Secretary or such other officer of the Board as may be authorized by it in this behalf.

Superintendent 21-
a centre and
month invigilator to
the close
be public
servants

(1) Every Superintendent of a Centre and every invigilator shall, during the of period of an examination conducted by the Board, and for a period of one prior to the commencement of, and of two months immediately following of such examination, be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

[(2) An assault on, or use of criminal force to, a Superintendent of a Centre or an invigilator during the period mentioned in sub-section (1) shall be deemed to be an obstruction voluntarily caused to a public servant in the discharge of his public functions, punishable under section 186 of the Indian Penal Code, and shall, notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1898, be a cognizable offence.]¹

Power to make 22-
rules

(1) The State Government may, by notification and after previous publication in the Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power such rules may provide for-

[(a) the manner of rotation and the term of office of members mentioned in clauses (vii), (xiv) and (xv) of section 4;]²

(b) the rates of traveling and daily allowances payable to members of the Board, committees and sub-committees and the persons co-opted thereto, and the manner of their payment;

(c) the additional powers, duties and functions of the Board, the Chairman, the Vice-Chairman and the Secretary; *and*

(d) any other matter which under this Act is to be or may be prescribed by rules.

(3) All rules made under this Act shall, as soon as may be after they are made, be laid before each House of the State Legislature while it is in sessions for a total period of fourteen days extending in its one session or more than one successive sessions and shall, unless some later date is appointed, take effect, from the date of their publication in the Gazette, subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may agree to make so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of any thing previously done thereunder.

[Scheme of 22-A (1) Administration
Pradesh

(1) Notwithstanding anything in any law, document or degree or order of a court or other instrument, there shall be a Scheme of Administration for every institution whether affiliated before or after the commencement of the Uttar Pravidhik Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam, 1974.

(2) The Scheme of Administration shall, amongst other matters provide for the constitution of a Committee of Management vested with authority to manage and conduct the affairs of the affiliated institution.

----- 1. Section 21 renumbered as sub-section (1) and sub-section (2) inserted by section 9 of U.P. Act No. 23 of 1966.

2. Subs. by section 10 *ibid*,

[The Uttar Pradesh Pravidhik Shiksha Adhiniyam, 1962]
22B-22C]

[Section

(3) The Principal of the affiliated institution shall be ex-officio member of the Committee of Management with a right to vote.

(4) The Principal of the affiliated institution shall neither attend the meeting of the Committee of Management nor shall he exercise his right to vote whenever a charge concerning his personal conduct is under discussion.

(5) The Scheme of Administration shall also describes, subject to any regulations, the respective powers, duties and functions of the Principal and the Committee of Management In regulation to the affiliated institution.

(6) Where more than one affiliated institution is maintained by a body or authority, there shall be a separate Committee of Management for each such institution, unless otherwise provided in the regulations for any class of affiliated institutions.

(7) The Scheme of Administration of, every affiliated institution shall be subject to the approval of the Director and, no amendment to or change in such scheme shall be made at any time Without the prior approval of the Director in writing.

(8) Every affiliated institution shall be managed in accordance with the Scheme of Administration framed under and in accordance with this section and sections 22-B and 22-C.

Period within 22-B (1) In the case of an institution already affiliated at the date of commencement which the of the Uttar Pradesh Pravidhik Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam, 1974, a draft of Scheme of the Scheme of Administration shall be prepared and submitted to the Director for his Administration approval in accordance with section 22-C within six months from the said shall be commencement and in all other cases along with the application for affiliation. submitted

commencement (2) Where an institution which has already been affiliated at the of the Uttar Pradesh Pravidhik Shiksha (Sanshodhan) Adhiniyam, 1974, falls to comply with the provisions of sub-section (1) Within the period provided therefor, the Director shall send a notice to such institution requiring it to submit the Scheme of Administration within a further period of three months :

Provided that on a representation by the affiliated institution prior the expiry of the extended period, the Director may, in his discretion, allow a further extension for a period of three months.

(3) If the scheme is not submitted within the time allowed the Director shall take action in accordance with clause (a) or clause (b) of sub-section (3) of section 22-D.

Approval of 22-C (1) Subject to the regulations governing the principles for according approval to the draft the Scheme of Administration, the Director shall, within such period of time as may Scheme of be specified in the regulations, either approve the draft Scheme of Administration Administration submitted under section 22-B or suggest any alteration or modification therein.

(2) Where the Director suggests any modification in the draft Scheme of Administration under sub-section (1), he shall send a copy of the same to the affiliated institution giving his reasons therefor and affording an opportunity to such institution to make a representation, within such period of time, as may be specified in the regulations :

[The Uttar Pradesh Pravidhik Shiksha Adhiniyam, 1962]

[Section 22-D]

Provided that in case the Director does not suggest any alteration or modification in the draft Scheme within the period specified in the regulations, draft Scheme shall be deemed to have been approved.

(3) The Director shall consider any representation made in accordance with the provisions of sub-section (2) and may approve the Scheme of Administration in its original form, or subject to the modification suggested under the said subject or with any other modification as may appear to him to be just and proper :

Provided that where the Director proposes to make a new modification in the Scheme of Administration, he shall provide an opportunity to the affiliated institution to make a representation to him within such period of time as may be specified in the regulations.

Inspection of 22-D (1) The Director may cause an affiliated institution to be inspected from time to time.

affiliated institution and

removal of (2) The Director may direct the Management of an affiliated institution to remove any defect or deficiency found on inspection or otherwise.

defects

(3) Where the Management fails to comply with any direction made under sub-section (2), the Director may, after considering the explanation or representation, if any, given or made by the Management --

(a) refer the case to the Board for withdrawal of affiliation ; or

(b) recommend to the State Government to proceed against the affiliated institution under sub-section (4).

(4) If on receipt of a recommendation referred to in clause (b) of sub-section (3), the State Government is satisfied that in the interest of the institution it is necessary that the Management of that institution be handed over to an Authorized Controller the State Government may by an order, for such period as may be specified in the order appoint an Authorized Controller and that Authorized Controller may take over the management of the institution including management of the land, buildings, funds and other assets belonging to or vested in the institution to the exclusion of the Committee of Management or any other person, and whenever the Authorized Controller so take over the management, he shall, subject only to such restrictions as the State Government may impose, have in relation to the management of the institution all such powers and authority as the Committee of Management would have if no order were made under this sub- section.

(5) The period for which an order may be made under sub-section (4) shall not exceed one year in the first instance :

Provided that if the State Government is of opinion that it is expedient so to do in order to continue to secure the proper management of the institution, it may from time to time extend the operation of the order for such period, not exceeding one year at a time as it may specify, so however, that the total period of the operation of the order, including the period specified in the initial order under sub- section (4) does not exceed five years :

Provided further that if at the expiration of the said period of five years there is no lawfully constituted Committee of Management of the institution, the Authorized Controller shall continue to keep the management in his

hands until the State Government is satisfied that the Committee of Management has been lawfully constituted :

[The Uttar Pradesh Pravidhik Shiksha Adhiniyam, 1962]

[Section 22E-22F]

Provided further that the State Government may at any time revoke an order made under sub-section (4) or under this sub-section.

(6) No person who is appointed Authorized Controller under section (4), shall be personally liable for acts done by him in good faith in performance of the duties entrusted to him.

(7) Any order and or directions given under sub-section (4) shall have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other enactment or instrument relating to the management and control of the institution (including any Scheme of Administration) or relating to the property belonging to or vested in the institution.

(8) No order made by the Board withdrawing affiliation under clause (a) of sub-section (3) and no order made under sub-section (4) shall be called in question in any court.

(9) The powers conferred by this section shall be in addition to and not in derogation of any powers conferred on the State Government or the Authorized Controller under any other law.

Appointment
of
teachers

22-E (1) Qualifications for appointment as Principal and of teachers shall be laid of down by regulations:

Provided that the Board may, after considering the report of the Director exempt any person from the requirement of minimum qualification having regard to his experience, education and other attainments.

(2) There shall be constituted in every affiliated institution a selection committee with the head of such institution as an ex officio member thereof, for the purpose of selecting candidates for appointment as teacher in the affiliated institution.

(3) For the selection of Principal of an affiliated institution, there shall likewise be constituted a selection committee of three members one of whom shall be a person not belonging to the district in which the affiliated institution is located, selected by the Committee of Management out of the regional panel referred to in sub-section (4).

(4) The Director shall prepare for each region a panel of persons to act as-nominated members in the selection committee referred to in sub-section (3).

(5) The constitution of the selection committee referred to in sub-sections (2) and (3), the conduct of business at their meetings, the preparation or regional panels and other matters shall be regulated by regulations.

Procedure of
of
principal and
teacher
been

22-F (1) Subject to the provisions hereinafter specified, no person shall be selection appointed as Principal or teacher in an affiliated institution unless he -----

(a) possesses the qualifications laid down in the regulations or has exempted from such qualifications under sub-section (1) of section 22-E,

(b) has been recommended by the selection committee constituted under sub-section (2) or sub-section (3), as the case may be, of the said section and approved by the Director :

[The Uttar Pradesh Pravidhik Shiksha Adhiniyam, 1962]
22-G]

[Section

Provided that where the Director is satisfied that for any affiliated institution, no candidate possessing all the qualifications laid down in the regulations is available for appointment, he may permit the affiliated institution to employ as a temporary measure any suitable person for a period not exceeding one year :

Provided further that such period of one year may be extended with prior approval of the Director :

Provided also that in the case of leave vacancy or of a vacancy occurring for a part of the session of the affiliated institution, it shall be lawful for the Committee of Management to appoint a Principal or teacher, and in that case information of such an appointment shall be given forthwith to the Director.

(2) The name of the selected candidate shall be forwarded for approval to the Director alongwith the list showing the names, qualifications and such other particulars, as may be laid down by regulations, of all candidates who may have applied for selection.

(3) The Director shall give his decision within two weeks of the receipt of the relevant papers mentioned in sub-section (2), failing which approval shall be deemed to have been accorded.

(4) Where the Director disapproves, for reasons to 'be recorded in writing, if any name proposed under sub-section (1), the Management may, within three weeks of the receipt of the disapproval, make a representation against it to the State Government whose decision in the matter shall be final.

(5) Where a recommendation made under sub-section (2) has been disapproved and the representation of the Management, if any, under sub-section (4) has been rejected, the selection committee shall proceed to select and recommend another name for approval as provided by section 22-E and this section. .

(6) Where the selection made under sub-section (5) is again disapproved and the representation, if any, against the disapproval has not been accepted the Director may appoint any qualified person out of the list of the candidates applying for the vacancy and such appointment shall be final.

Dismissal or
removal etc. of
served teachers
the

22-G (1) No Principal or teacher may be discharged or removed or dismissed from service or reduced in rank or subjected to any diminution in emoluments, or with notice of termination of service except with the prior approval in writing of Director, Whose decision shall be communicated within such period as may be provided by regulations.

(2) The Director may approve or disapprove or reduce or enhance the punishment or approve or disapprove of the notice for termination of service proposed by the Management :

Provided that in the case of a punishment, before passing orders, the Director shall give an opportunity to the Principal or the teacher to show cause within a fortnight of the receipt of the notice why the proposed punishment should not be approved.

(3) Nothing in this section shall apply to an order of suspension during the pendency or in contemplation of an inquiry]¹

1. Ins. by section 4 of U. P. Act No. 35, 1974.

[The Uttar Pradesh Pravidhik Shiksha Adhiniyam, 1962]
23]

[Section

Power to make
regulations
submit
approve,

23- (1) The Board may, for carrying out the purposes of this Act, make regulations consistent with the provisions of this Act and the rules framed thereunder and the same for approval of the State Government. The State Government may modify or vary the regulations. The regulations, as approved by the State Government, shall be published in the Gazette and shall take effect from the date of publication, but, where a date has been specified, from that date.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers, the regulations may provide for ---

(a) the appointment, constitution, powers and duties of the committees and sub-committees constituted under this Act;

(b) the manner and conditions of conferment of certificates and diplomas;

(c) the conditions for affiliation of institutions;

(d) the courses of study to be prescribed for certificate and diploma examinations ;

(e) the conditions under which candidates shall be admitted to the examinations of the Board and shall be eligible for certificates and diplomas ;

(f) the fees for admission to the examinations of the Board and the manner of their realization ;

(g) the conduct of examinations;

(h) the appointment of examiners, moderators, collators, scrutinisers, tabulators, centre inspectors, superintendents of Centres and invigilators and their duties and powers in, relation to the Board's examinations, and the rates of their remuneration;

(i) standards for buildings including land appurtenant thereto, the equipment and apparatus necessary for institutions seeking affiliation;

[j) the qualifications, conditions of service, scales of pay and strength of teaching and non-teaching staff of affiliated institutions.]¹

(k) publication of results of examinations conducted by the Board; .

(l) the minimum educational and other qualifications for admission of students to an affiliated institution ;

(m) admission of students to affiliated institutions ;

(n) the inspection of affiliated institutions with a view to ensure due observance of the prescribed courses of study and that facilities for instructions are duly provided and availed of;

(o) the conditions under which a candidate may be disallowed admission to the examination of the Board or courses of study in an affiliated institution;

(p) withholding or canceling results of an examination conducted by the Board, and canceling an examination conducted by it in respect of any candidate; (q) the circumstances under which affiliation of an institution may be withdrawn or refused ;

1- Subs. and be deemed always to have been substituted by S 5 (i) of U. P. Act No. 35, 1974.

[The Uttar Pradesh Pravidhik Shiksha Adhiniyam, 1962]
24-25]

[Section

(r) inspection of a Centre; [* * *]¹

[(r a) the powers, duties and functions of Principal and the Committee of Management;

(r b) the principles under which approval to a Scheme of Administration may be accorded ;

(r c) the period of time during which a representation may be made to the Director under sub-section (2) of section 22-C;

(rd) the period of time on the expiry of which a draft Scheme of Administration shall be deemed to have been approved by the Director under the proviso to sub-section (2)

(r e) the period of time during which a representation may be made by an affiliated institution under the proviso to sub- section (3) of section 22-C ;

(r f) the constitution of the selection committee referred to in sub-section (2) and sub-section (3) of section 22-E, the conduct of business at their meetings, and the preparation of regional panels;

(r g) the particulars to be forwarded to the Director under sub-section (2) of section 22-F ;

(r h) all matters relating to the appointment and conditions of service of Principals and teachers of affiliated institutions;]²

(s) any other matter which under this Act or rules made thereunder is to be or may be prescribed by regulations.

Power to make by-laws 24- (1) The Board may make bye-laws for giving effect to the provisions of this Act, and the rules and the regulations made thereunder.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers, such bye-laws may provide for --

(a) the procedure to be observed at meetings of the Board and the number of members required to form a quorum ;

(b) the giving of notice to members of the Board, a committee or a sub-committee of the date of a meeting and of the business to be considered thereat, and for the keeping of the record of proceedings of such meetings; and

(c) any other matter which, under this Act or the rules or regulations made thereunder, in to be or may be prescribed by bye-laws.

Transitional provisions 25- Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this Act, on the commencement of this Act-----

----- 1. Deleted by section 5(ii) of U. P. Act No. 35 of 1974.

2. Inserted by section 5(ii) *ibid*.

[The Uttar Pradesh Pravidhik Shiksha Adhiniyam, 1962]
26]

[Section

(i) the Board of Technical Education (hereinafter called the Technical Education Board) constituted under G.O. no. 1687-A/ III-16o-K-1958, dated May 13, 1958, as modified from time to time, shall be deemed to be the Board established under section 3 till such Board is established in accordance with the provisions of that section and section 4, and upon the Board being so established the Technical Education Board shall stand dissolved ;

(ii) the Chairman and the Vice-Chairman of the Technical Education Board shall respectively be deemed to be the Chairman and the Vice-Chairman appointed under section 4 till Chairman, or as the case may be, a Vice-Chairman is appointed in accordance with that section ;

(iii) each of the committees of Technical Education Board known as the Text Book and Syllabus Committee, the Examination Committee,

the Results Committee, and the Inspection and Affiliation Committee, shall function as a committee constituted under section 18 till a corresponding Committee is constituted under the said section and upon a committee being so constituted the corresponding committee of the Technical Education Board shall stand dissolved;

(iv) any institution affiliated to the Technical Education Board shall be deemed to have been affiliated to the Board under this Act on the same terms and conditions ; and

(v) any resolution passed by the Technical Education Board before the said commencement shall until regulations on that subject are made, have the same effect as regulation made under this Act.

Power to
remove

26- With a view to remove any difficulty in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, during the period of one year after the difficulties commencement of this Act, regulate by order any matter which is to be regulated by a rule or regulation under this Act, anything contained in the Act notwithstanding.

